न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2021/59
दायरा तिथि : 23.03.2021
फैसला तिथि : 20-10-2022

प्रार्थी::–
पना पुत्र केसा जाति सीरवी
निवासी बेडल तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थितिः–

1. श्री रताराम राठौड.................................. अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार .... नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 20-10-2022

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 119, 120/766 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.3900 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम केसा पुत्र पन्ना** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम पना पुत्र केसा शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि में त्रुटिपुर्ण नाम **केसा पुत्र पन्ना** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **पना पुत्र केसा** दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण नाम केसा पुत्र पन्ना** के स्थान पर **पना पुत्र केसा** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री **रताराम राठौड** ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **पना पुत्र केसा** है, जिसकी पुष्टि में प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड की प्रति पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **केसा पुत्र पन्ना** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम बेडल तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 119, 120/766 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.3900 हैक्टर में **दर्ज त्रुटिपुर्ण नाम केसा पुत्र पन्ना** को **दुरस्ती** के माध्यम से **सही व वास्तविक नाम पना पुत्र केसा शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
बाली, जिला-पाली (राज.)
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 20-10-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज)